

&gt;

Title: Election of 2 Members of Lok Sabha to serve as Member of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA), Jamnagar.

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU):** Sir,

I beg to move:

“That in pursuance of Section 6(1) of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA) Act, 2020, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, subject to the other provisions of the said Act.”

**माननीय सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) अधिनियम, 2020 की धारा 6(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय सभापति:** आज जिन माननीय सदस्यों को 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।